लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1105
दिनांक 26.07.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

हस्तशिल्प का निर्यात

1105. श्री दिलीप शइकीयाः
सुश्री दिया कुमारीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प के निर्यात के पुनरुद्धार हेतु उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के लिए अपने व्यापारिक निर्यात हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का टियर-2 और टियर-3 कस्बों और शहरों, विशेषकर हस्तशिल्प के निर्यात पर बहुत अधिक निर्भर उत्तर-पूर्व राज्यों को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का स्टार्ट-अप के लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन करने, हस्तशिल्प उद्योग का पुनरुद्धार करने और देश के प्रति व्यक्ति निर्यात में इसके योगदान को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्रीमती दर्शना जरदोश)

(क) से (घ): सरकार उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत निर्यात सहित हस्तशिल्प के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाती है। निर्यात लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसमें भू-राजनैतिक परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार रुझान, बाज़ार सक्रियता और उद्योग फीडबैक जैसे अनेक कारकों को शामिल किया जाता है। इस दौरान सरकार निर्यात प्रदर्शन पर लगातार नजर बनाए हुए है और उत्पादन एवं निर्यात बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। एनएचडीपी योजना के विपणन सहायता एवं सेवाएं (एमएसएस) उप-घटक के अंतर्गत, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सम्पूर्ण भारत में घरेलू के साथ-साथ विदेशी बाज़ारों में भी हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन हेतु पात्र एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान एनएचडीपी योजना के एमएसएस उप-घटक को आवंटित बजट के पूर्वोत्तर उपशीर्ष के तहत रिलीज़/स्वीकृत निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	रिलीज़ निधियाँ (लाख रु. में)
2020-21	123.87
2021-22	490.16
2022-23	629.35

(ड़) और (च): स्टार्ट-अप्स इंडिया पहल के तहत, सरकार देश में स्टार्ट-अप्स पारिस्थितिकी तंत्र के विकास एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। प्रमुख योजनाएं नामशः फंड ऑफ फंडस फॉर स्टार्ट-अप्स (एफएफएस), स्टार्टअप्स इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (सीजीएसएस) हैं जो स्टार्ट-अप्स को सक्षम बनाने के लिए उनके व्यवसाय चक्र के अनेक स्तरों में सहायता करती हैं ताकि वे उस स्तर तक पहुंच सकें जहां वे ऐंजल निवेशकों या उद्यम पूंजीपतियों से निवेश कराने या व्यवसायिक बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो सकें।

*****